तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28-05-25	~~पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई।~~ उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है– **प्रार्थना पत्र संख्या 39/2023** **दायरा दिनांक 03.07.2023** **बउनवान अंकुर भारद्वाज बनाम बनवारी वगै0** **निर्णय** संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111,128 के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खाते की कृषिभूमि खाता संख्या 281 के ख0सं0 1021/922 रकबा 1.60है0, व खाता संख्या 282 के ख0सं0 1023/796 रकबा 1.60है0 वाके ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है प्रार्थी की कुछ भूमि पर उक्त अप्रार्थिगण ने कब्जा कर रखा है जिससे प्रार्थी की भूमि सिकुड गयी है जितनी भूमि प्रार्थी के खाते पर है उतनी भूमि मौके पर नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। अप्रार्थी सख्या 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं शेष अप्रार्थिग्ण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी सं 4 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमि का सौदा प्रार्थी ने अप्रार्थी सं 4 से किया गया था परन्तु अप्रार्थी सं 4 द्वारा प्रार्थी को उक्त कृषिभूमि का कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थी के कब्जे के अभाव में प्रथम स्तर पर ही खारिज किया जाने योग्य है। प्रार्थी का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा नहीं है तो किसी प्रकार की भूमि का दबाने या लडाई झगडे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमि प्रार्थी के कब्जे बाबत तहसीलदार इन्द्रगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें ख0सं0 1021/922 , खसरा संख्या 1023/796 पर प्रार्थी अंकुर भारद्वाज पुत्र जगदीश प्रसाद का कब्जा नहीं होना अवगत कराया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं 4 के अधिवक्ता ने प्रार्थी की बहस का कडा विरोध करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमि पर कब्जा नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। कृषिभूमि खसरा संख्या 1021/922 , खसरा संख्या 1023/796 वाके ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा किए अभिकथन एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा उक्त कृषिभूमि पर कब्जे बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्राथमिक दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र स्वच्छ हस्त से पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे के अभाव उक्त प्रश्नगत कृषिभूमि पर पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है प्रार्थी सक्षम न्यायालय में अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने बाबत वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा साबित नहीं होने से हमारे मत प्रार्थी प्रार्थना पत्र में चाहे गए अनुतोष का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **लाखेरी(बून्दी)**